उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 24.08.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

उत्तर प्रदेश पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा सम्बन्धित को समस्या निस्तारण हेतु जरिये दूरभाष दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 24.08.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं एवं समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित को मौके पर जरिये दूरभाष आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 24.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी, जनपद महोबा के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा गठित टीम के उ0नि0 अर्जुन सिंह द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त हजारीलाल पुत्र कमतू उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम ढिकवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को सम्बन्धित केश नं0 27/2020 धारा 128 सीआरपीसी मे ग्राम ढिकवाहा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद गिरफ्तारी आवश्यक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अर्जुन सिह
2. का0 रामनाथ गौतम

गिरफ्तार अभियुक्त-

हजारीलाल पुत्र कमतू उम्र करीब 41 वर्ष निवासी ग्राम ढिकवाहा थाना श्रीनगर महोबा

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्र धारक अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में दिनांक 24.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री शशि कुमार पाण्डेय द्वारा गठित टीम के उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा मुखबिर की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त अम्बर राजपूत पुत्र रविन्द्र राजपूत उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम कैंथा थाना राठ जनपद हमीरपुर को अलीपुरा रोड से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 141/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 महेन्द्र कुमार वर्मा
2. का0 राहुल कुमार
3. का0 आर्यन सिंह

बरामदगी-

01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद हुआ।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

अम्बर राजपूत पुत्र रविन्द्र राजपूत उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम कैंथा थाना राठ जनपद हमीरपुर।

थाना चरखारी की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 24.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी, जनपद महोबा के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ0नि0 राजकुमार यादव व उ0नि0 भगवानदीन द्वारा 01 नफर वारन्टी अभियुक्त लखन पुत्र सरिया लोधी निवासी ग्राम नटर्रा थाना चरखारी जनपद महोबा को सम्बन्धित केश न0 45/2022 धारा 323/325 भादवि में ग्राम नटर्रा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 राजकुमार यादव

2. उ0नि0 भगवानदीन थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. वारन्टी लखन पुत्र सरिया लोधी निवासी ग्राम नटर्रा थाना चरखारी जनपद महोबा

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 24.08.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद में पंजीकृत गैगेंस्टर एक्ट के अभियोगों कि की गयी समीक्षा, अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने संबंधी दिये आवश्यक दिशा-निर्देशः-

आज दिनांक 24.08.2023 को श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा सहित जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्षों के साथ जनपद के विभिन्न थानों में पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमों की समीक्षा की गयी।

पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में गैंगेस्टर एक्ट की पंजीकृत अभियोगों की समीक्षा के दौरान अभ्यस्त अपराधी जिनके द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हुए अपराध को किये जाने तथा अपराध में लिप्त रहकर अवैध तरीके से संपत्ति का अर्जन करने वाले अपराधियों के अपराध सम्बन्धी तुलनात्मक आंकडों एवं उनके अपराध से अर्जित सम्पत्ति का अवलोकन कर शासन के मंशानुरुप अपराध के प्रति जीरो टालरेंस नीति के तहत अपराधियों के विरुद्ध 14(1) गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के सख्त निर्देश दिये गये।

इस दौरान जनपद के सभी थानों में नियुक्त प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 24.08.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

महोबा पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 नफर अभियुक्तों को 04 वर्ष कठोर कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्डः-

थाना महोबकंठ में पंजीकृत मु.अ.सं. 99/2019 धारा 392/411 भादवि की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन द्वारा मुकदमें की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 24.08.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कोर्ट संख्या प्रथम महोबा द्वारा दोषसिद्ध 03 नफर अभियुक्त क्रमशः 1.छोटे सिंह उर्फ छोटे राजा पुत्र गनेश सिंह निवासी रुपनगर थाना चरखारी, महोबा 2.शीतल यादव पुत्र अशर्फी लाल निवासी रिवई थाना चरखारी 3.धर्मेन्द्र उर्फ धीरू पुत्र सुधार यादव निवासी करहराकलां, थाना कोतवाली नगर महोबा को **04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया है।

Meticulous Investigation & Prosecution

Operation Conviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 24.08.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम द्वारा "लूट" के अभियोग में आरोपी 03 नफर अभियुक्तो को दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत हैः-

थाना महोबकंठ में पंजीकृत मु.अ.सं. 99/2019 धारा 392/411 भादवि से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.छोटे सिंह उर्फ छोटे राजा पुत्र गनेश सिंह निवासी रुपनगर थाना चरखारी, महोबा 2.शीतल यादव पुत्र अशर्फी लाल निवासी रिवई थाना चरखारी 3.धर्मेन्द्र उर्फ धीरू पुत्र सुधार यादव निवासी करहराकलां, थाना कोतवाली नगर महोबा को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

➡ अभियोजन विभाग से विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह तथा पुलिस विभाग से विवेचक- उ.नि. जितेन्द्र सिंह, पैरोकार- कां. समीम खां का योगदान सराहनीय रहा।

विवेचक
उ.नि. जितेन्द्र सिंह

राजेश कुमार यादव
संयुक्त निदेशक अभियोजन

कां. समीम खां
पैरोकार- थाना महोबकंठ

दिनेश सिंह
विशेष लोक अभियोजक

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 24.08.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कुलपहाड़ की पुलिस टीम ने गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ किया गिरफ्तारः-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अवैध शस्त्र धारक अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 24.08.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक व सुश्री हर्षिता गंगवार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण श्री लाखन सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ के नेतृत्व में गठित हुई पुलिस टीम ने थाना अजनर में पंजीकृत मु0अ0सं0 49/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त प्रमोद कुशवाहा उर्फ हाऊ पुत्र सुखलाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी अकौना थाना अजनर जनपद महोबा को मय 01 अदद तमन्चा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ अकौना तिराहा बहद कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त से हुई बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुलपहाड़ में मु.अ.सं. 244/2023 धारा 3/25 ARMS ACT का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

1. श्री लाखन सिंह **SHO** थाना- कुलपहाड़ 2. उ0नि0 हरिभजन गौतम
3.का0 राजीव कुमार 4. का0 अजय कुमार 5. का0 देवेन्द्र राजपूत

गिरफ्तार अभियुक्त-

प्रमोद कुशवाहा उर्फ हाऊ पुत्र श्री सुखलाल उम्र करीब 20 वर्ष निवासी अकौना थाना अजनर जनपद महोबा।

बरामदगीः- 01 अदद तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज।